

श्रीमानजी

रिपोर्ट पटवारी व भूअ.नि.

रोही ग्राम रोविया संवत् 2671-74 खाता सं. 17 में प्राप्ति का नाम जमाबंदी में संतोषपुरी रामेश्वरलाल दर्ज है जबकि प्राप्ति के सभी दस्तावेज (आधार कार्ड, पहचान-पत्र, जगहधार) में शान्तिदेवी नाम दर्ज है। अतः श्रीमानजी, सभी दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में संतोषपुरी जगह शान्तिदेवी दर्ज किया जाना उचित है।

7/11/25

रिपोर्ट तहसीलदार/नायक

रामपाल सिंह  
पटवारी प. म. चूरु जिला चूरु

प्राप्ति द्वारा उपलब्ध इच्छाये गये दस्तावेजों एवं रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. अनुसार नाम शुद्ध ~~का~~ संतोषपुरी रामेश्वरलाल की बजाय शान्तिपुरी रामेश्वरलाल भिन्न जाना उचित है।

तहसीलदार

आदेश

तहसीलदार चूरु की रिपोर्ट के आधार पर थुट किले जाने के आदेश दिने जाते हैं। अमलादालत करावे।

उपखण्ड अधिकारी  
चूरु

